न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी: नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस
राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 103 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

1. स्व.हेमसिंह पुत्र रतनसिंह का.मु
   1/1श्रीमती शकुन्तला देवी बेवा हेमसिंह उम्र 70 साल
   1/2जोरावरसिंह पुत्र हेमसिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत
   निवासी जैसलमेर
2. अमरसिंह पुत्र रतनसिंह
3. सरदारसिंह पुत्र रतनसिंह जातियान राजपूत निवासीयान जैसलमेर जिला जैसलमेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार जैसलमेर।
2.राजस्थान सरकार जिला कलक्टर जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 09/2009 बअनवान हेमसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2009 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री मोहम्मद अली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 30.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय ने समरी बंदोबस्त एवं नियमित बंदोबस्त के रेकर्ड को ठीक से समझे बिना ही फैसला कर दिया। स्वयं तहसीलदार के कथनानुसार अपीलार्थी के खाते में पहले 130.05 बीघा भूमि दर्ज थी जबकि नियमित बंदोबस्त में इसका रकबा 87.03 बीघा दर्ज कर दिया गया। इसका कोई कारण पत्रावली पर विद्यमान नहीं था। राजस्व विभाग द्वारा यदि साबिका बंदोबस्त एवं हाल बंदोबस्त के बारे में विधिवत मिलान क्षेत्रफल इत्यादी तैयार नहीं किये गये है तो इसके लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता नियमित बंदोबस्त में रकबे की कमी की गई उसकी पूर्ति मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय ने समरी बंदोबस्त एवं नियमित

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बंदोबस्त के रेकर्ड को ठीक से समझे बिना ही फैसला कर दिया। स्वयं तहसीलदार के कथनानुसार अपीलार्थी के खाते में पहले 130.05 बीघा भूमि दर्ज थी जबकि नियमित बंदोबस्त में इसका रकबा 87.03 बीघा दर्ज कर दिया गया। इसका कोई कारण पत्रावली पर विद्यमान नहीं था। राजस्व विभाग द्वारा यदि साबिका बंदोबस्त एवं हाल बंदोबस्त के बारे में विधिवत मिलान क्षेत्रफल इत्यादी तैयार नहीं किये गये है तो इसके लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता नियमित बंदोबस्त में रकबे की कमी की गई उसकी पूर्ति मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिये थी। खसरा संख्या 200 रकबा 47.11 बीघा भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में बेदखल नहीं करने मौके की यथास्थिति बनाये रखने आदि हेतु प्रस्तुत की थी, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.1995 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए वादीगण को उपरोक्त भूमि से बेदखल नहीं करने एवं मोके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश जारी कर उक्त स्थगन पत्रावली मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान में भी उक्त खसरा संख्या 200 बाबत निषेधाज्ञा जारी होना रिकार्ड पर माना है, तत्पश्चात दिनांक 12.10.2009 को उक्त वाद वादीगण खारिज कर दिया गया तथा अपने निर्णय में खसरा संख्या 200 में 05 बीघा राजस्थान आवासन मण्डल को आंवटित करने का उल्लेख किया हैं। रेस्पोडेंट ने अपीलांट के पक्ष में स्थगन जारी होने के बाद 05 बीघा राजस्थान आवासन मण्डल को तथा 02.05 बीघा छात्रावास को आवंटन कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अवमानना की हैं। भू–प्रबंधक विभाग को पैमाईश करने दौरान समरी खसरा संख्या 15 रकबा 86.05 बीघा भूमि की पैमाईश करने पर सम्पूर्ण रकबा इन्द्राज करने का अधिकार था भू प्रबन्ध विभाग वालो ने खसरा संख्या 201 से लगती भूमि खसरा संख्या 200 को गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग वालों को समरी बंदोबस्त में इन्द्राजात को समरी में दर्ज प्रविष्टियों को दोहराने का अधिकार था। किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना रकबे में कमी करने का अधिकार भू प्रबंध विभाग को प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 1996(Raj.) Page 397
RRT 2008(1) Page 151
RRT 2013(1) Page 226
RRT 2018(1) Page 721

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का वाद डिक्री फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि समरी अंदाजिया थी। स्थाई बंदोबस्त में अपीलांट/वादी का जितनी भूमि पर कब्जा काश्त था उतनी भूमि का खातेदारी में इन्द्राज किया जा चुका है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कम्पेरटिव रजिस्टर ग्राम जैसलमेर तहसील जैसलमेर के कॉलम टिप्पणी निरीक्षक में स्पष्ट अंकन किया गया है कि "मुताबिक कब्जा काश्त हाल पैमाईश में रकबा कुल 87.03 बीघा आया है समरी से हाल रकबा खाता में 43.02 बीघा कमी आया है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिम त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं विधिक बिंदुओं के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 09/2009 बअनवान हेमसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2009 को यथावत रखा जाता है।

30/9/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner